सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **160/2007** दायर दिनाँक **20.10.2007**

वादी		प्रतिवादीगण
1. हरकी उर्फ हीरादेवी पुत्री छोगाराम जाति जाट निवासी केराप तहसील डीडवाना 2. जीवणी पुत्री छोगाराम जाति जाट निवासी केराप तहसील डीडवाना 3. नारायणी पुत्री छोगाराम जाति जाट निवासी साण्डास तहसील लाडनूं 4. जडाव पुत्री छोगाराम जाति जाट निवासी साण्डास तहसील लाडनूं 5. चुंकी पुत्री छोगाराम जाति जाट निवासी रणसीसर चारणा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पीथाराम पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी मामडोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा केराप

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री अलताफ हुसैन वकील, वादीगण।
2. श्री मो0 अली शेरानी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **08.03.2018**

प्रार्थना पत्र संख्या 27/2018 उनवान हरकी बनाम पीथाराम के निर्णय से मूल वाद संख्या 160/07 उनवान हरकी बनाम पीथाराम पुनः नम्बर पर लिया गया। वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 एक ही परिवार स्व0 छोगाराम के वारिसान है। स्व0 छोगाराम की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 06 रकबा 29 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 45 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 199 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 207 रकबा 45 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 231 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 144 बीघा 08 बिस्वा वाके सरहद मामडोदा में स्थित है। उक्त भूमि सभी पक्षकारान

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद, संख्या 160/2007
दायर दिनाँ 20.10.2007, निर्णय दिनाँक 08.03.2018
हरकी बनाम पीथाराम, वगैरा।

की पैतृक सम्पति है। स्व0 छोगाराम की मृत्यू हो चुकी है जिससे राजस्व रेकर्ड में स्व0 छोगाराम के स्थान पर सभी वारिसान का नाम दर्ज होना चाहिए था। उक्त पैत्रिक भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 सभी का 1/6, 1/6 हक हिस्सा है तथा मौके पर सभी पक्षकारान की संयुक्त कब्जा काश्त चली आ रही है एवं मौके पर बंटवारा हुआ नहीं है।

स्व0 छोगाराम के पुत्र प्रतिवादी पीथाराम का उपरोक्त कृषि भूमियों में 1/6 हक हिस्सा बनता है किन्तु स्व0 छोगाराम की मृत्यू होने पर उपरोक्त कृषि भूमियों कुल रकबा 144 बीघा 08 बिस्वा अकेले प्रतिवादी के नाम गलत रूप से दर्ज हो जाने तथा उपरोक्त गलत अंकन की आड में प्रतिवादी उक्त भूमि को अन्य किसी को बेचान/हस्तान्तरण करने पर आमदा है। प्रतिवादी सं0 01 द्वारा उक्त कृषि भूमियों को बेचने की धमकी देने से वादीगण के अधिकारों पर संकट के बादल छा गये है, यदि प्रतिवादी ऐसा करने में सफल हो गया तो वादी पक्ष के जायज हको पर विपरीत प्रभाव पडेगा एवं वाद का मकसद ही समाप्त हो जावेगा जिससे अन्य कोई विकल्प नहीं देख कर यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा खातेदारी का पेश है।

प्रार्थना वादीगण है कि खेत खसरा नम्बर 06 रकबा 29 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 45 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 199 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 207 रकबा 45 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 231 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 144 बीघा 08 बिस्वा वाके सरहद मामडोदा में वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 प्रत्येक के 1/6, 1/6 की खातेदारी घोषित की जावें एवं तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 01 इस आशय की जारी की जावें कि वह उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में किसी प्रकार का विक्रय या हस्तान्तरण नहीं करें तथा न ही प्रतिवादी की कब्जा काश्त में बाधा कारित करें।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान वकील श्री अलताफ हुसैन ने की व प्रतिवादी की पहचान वकील श्री मोहम्मद अली शेरानी ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनाम अनुसार पक्षकारान 1/6, 1/6 हिस्से किये जाने पर सहमत है।

पक्षकारान् राजीनामा के मुताबिक, राजीनामा अनुसार दावा डिक्री चाहते हैं।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 160/2007
दायर दिनाँ 20.10.2007, निर्णय दिनाँक 08.03.2018
हरकी बनाम पीथाराम, वगैरा।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है व वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद मामडोदा के खसरा सं0 06 रकबा 29 बीघा 04 बिस्वा में से 24 बीघा 02 बिस्वा पूर्वी हिस्सा वादी सं0 1 हरकी उर्फ हीरादेवी, खसरा सं0 207 रकबा 45 बीघा 02 बिस्वा में से 24 बीघा 02 बिस्वा पूर्वी हिस्सा वादी सं0 02 जीवणी, खसरा सं0 45 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा में से 24 बीघा 01 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा वादी सं0 03 नारायणी देवी, खसरा सं0 45 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा में से 16 बीघा 03 बिस्वा पूर्वी हिस्सा, खसरा सं0 199 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा में से 01 बीघा 16 बिस्वा पूर्वी हिस्सा, खसरा सं0 207 रकबा 45 बीघा 02 बिस्वा में से 01 बीघा उत्तरी पूर्वी हिस्सा, खसरा सं0 06 रकबा 29 बीघा 04 बिस्वा में 05 बीघा 02 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा वादी सं0 04 जडाव देवी, खसरा सं0 231 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 45 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा में से 05 बीघा 02 बिस्वा उत्तर पश्चिमी हिस्सा कुल 24 बीघा वादी सं0 05 चुंका देवी तथा खेत खसरा सं0 199 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा में से 04 बीघा 02 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा, खसरा सं0 207 रकबा 45 बीघा 02 बिस्वा में से 20 बीघा पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 24 बीघा 02 बिस्वा प्रतिवादी पीथाराम के घोषित कर उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी पीथाराम को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **08.03.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **160/2007** दायर दिनाँक **20.10.2007**

वादी		प्रतिवादीगण
1. हरकी उर्फ हीरादेवी पुत्री छोगाराम जाति जाट निवासी केराप तहसील डीडवाना 2. जीवणी पुत्री छोगाराम जाति जाट निवासी केराप तहसील डीडवाना 3. नारायणी पुत्री छोगाराम जाति जाट निवासी साण्डास तहसील लाडनूं 4. जडाव पुत्री छोगाराम जाति जाट निवासी साण्डास तहसील लाडनूं 5. चुंकी पुत्री छोगाराम जाति जाट निवासी रणसीसर चारणा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पीथाराम पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी मामडोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा केराप

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **08.03.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अलताफ हुसैन, वकील, वादीगण व श्री मोहम्मद अली शेरानी, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद मामडोदा के खसरा सं0 06 रकबा 29 बीघा 04 बिस्वा में से 24 बीघा 02 बिस्वा पूर्वी हिस्सा वादी सं0 1 हरकी उर्फ हीरादेवी, खसरा सं0 207 रकबा 45 बीघा 02 बिस्वा में से 24 बीघा 02 बिस्वा पूर्वी हिस्सा वादी सं0 02 जीवणी, खसरा सं0 45 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा में से 24 बीघा 01 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा वादी सं0 03 नारायणी देवी, खसरा सं0 45 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा में से 16 बीघा 03 बिस्वा पूर्वी हिस्सा, खसरा सं0 199 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा में से 01 बीघा 16 बिस्वा पूर्वी हिस्सा, खसरा सं0 207 रकबा 45 बीघा 02 बिस्वा में से 01 बीघा उत्तरी पूर्वी हिस्सा, खसरा सं0 06 रकबा 29 बीघा 04 बिस्वा में 05 बीघा 02 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा वादी सं0 04 जडाव देवी, खसरा सं0 231 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 45 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा में से 05 बीघा 02 बिस्वा उत्तर पश्चिमी हिस्सा कुल 24 बीघा वादी सं0 05 चुंका देवी तथा खेत खसरा सं0 199 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा में से 04 बीघा 02 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा, खसरा सं0 207 रकबा 45 बीघा 02 बिस्वा में से 20 बीघा पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 24 बीघा 02 बिस्वा प्रतिवादी पीथाराम के घोषित कर उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी पीथाराम को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बावत.....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **08.03.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner